

महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

मुकेश कुमार मीणा

इतिहास विभाग, जयपुर

गांधीजी के नेतृत्व का प्रमुख घटक था, उनकी दूरदृष्टि। वह दृष्टि, जो ईश्वर की सर्वोत्तम रचना अर्थात् मनुष्य को सत्य, न्याय, प्रेम और अहिंसा का दृढ़ता से पालन करते हुए, सद्भाव व शान्ति से रहने की क्षमता दे सकती है। “अहिंसा हमारा जातिगत नियम है, ठीक उसी तरह जैसे हिंसा पशु का नियम है। पाशविक व्यक्ति की अंतरात्मा प्रसुप्त होती है, वह बल प्रयोग के अतिरिक्त और कोई भी नियम नहीं जानता। मानव की गरिमा उसे एक अन्य नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करती है— वह है अंतरात्मा का नियम। मानव जाति पर प्रेम का नियम ही राज्य कर सकता है। यदि हम पर हिंसा अर्थात् घृणा का राज्य होता तो हम बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके होते। मानव जाति को केवल अहिंसा के मार्ग पर चल कर ही हिंसा से छुटकारा मिल सकता है, घृणा पर केवल प्यार द्वारा विजय पाई जा सकती है।”

अपने अनुभवों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह अनुभव किया कि तानाशाहों और आतताइयों की ओर लोगों का भयवश झुकाव अल्पकालीन होता है। वे सारे साम्राज्य, जो तलवार की नोक पर कायम किए जाते हैं, अंततः इतिहास की धूल में लुप्त हो जाते हैं। केवल वे साम्राज्य जो सच्चाई, प्रेम और बड़े मनीषियों, भविष्यदृष्टा, पीर-पैगम्बर, साधु-संतों के आत्म-त्याग द्वारा स्थापित हुए, वे ही बचे रहे और समृद्ध भी हुए। क्योंकि मानव ‘ईश्वर की दृष्टि’ द्वारा निर्मित रचना है और सभी उस ‘दैवी स्फुलिंग’ से ओत-प्रोत हैं, अतः उनका नेतृत्व सत्य एवं प्रेम से होना चाहिए, न कि भय और घृणा से। हमें सत्य के लिए ही जीना और आवश्यकता पड़ने पर सत्य के लिए ही जान देने को तत्पर रहना चाहिए, किन्तु किसी को भी चोट पहुंचाना या मारना नहीं चाहिए।

गांधी के लिए सत्य उतना ही वास्तविक और सर्वशक्तिमान था जितना स्वयं ईश्वर। वस्तुतः सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही वह सच्चाई है जो शाश्वत है। उनका कथन था, “विश्व सत्य की आधारशिला पर टिका हुआ है इसलिए कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। संक्षेप में यही सत्याग्रह का सिद्धान्त है।” सत्य सही मार्ग है, और जो सही है वही शक्तिशाली है न कि उसका विलोम। वे अक्सर भगवद्गीता के दार्शनिक दृढ़ कथन, ‘सत्यनास्ति परो धर्मः’, अर्थात् सत्य का परिपालन करने से बड़जा कोई कर्तव्य नहीं है, को उद्धृत करते थे।”

साहस और चरित्र, गांधी जन्म से साहसी नहीं थे। अपने बचपन और युवावस्था में वे बेहद शर्मीले थे। बचपन में वे सांपों, भूतों, चोर-डाकुओं और अंधेरे से बहुत घबराते थे। उनकी स्वामिभक्त सेविका रम्भा ने उन्हें इस प्रकार के भय पर विजय पाने के लिए बार-बार यह समझाया कि राम नाम का जाप इस पर विजय पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अपने स्कूल के दिनों में वे विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते थे जिसमें खेलकूद भी शामिल थे। कई बार खेल के मैदान में उन्होंने अम्पायर (निर्णायक) की भूमिका भी निभाई। पर यह आत्म विश्वास केवल उन लोगों तक ही सीमित था जिनसे वे भलीभांति परिचित थे।

सन् 1892 में लंदन से लौटने पर, जब उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू की, उस समय तक वे इतने भीरु थे कि वे अपने पहले मुकदमे में ही बहस करने में असफल रहे।

अपनी ‘आत्मकथा’ में वे लिखते हैं, “मैं खड़ा हुआ, पर मेरा हृदय मानों बैठ गया था। मेरा सिर घूम रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा अदालत कक्ष घूम रहा हो। पूछने को मुझे एक भी प्रश्न नहीं सूझा। न्यायाधीश जरूर हंस पड़े होंगे, किन्तु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बैठ गया और मैंने मुवक्किल से कहा कि मैं उनका मुकदमा नहीं लड़ सकता। मैं हड़बड़ा कर अदालत के कमरे से भाग खड़ा हुआ, बिना यह जाने कि मेरा मुवक्किल

हारा या जीता। मैं स्वयं पर शर्मिन्दा था और मैंने तब तक कोठ भी मुकदमा अपने हाथ में न लेने का निर्णय किया जब तक मैं सही रूप में बहस करने का साहस नहीं जुटा पाता। सच तो यह है कि मैं दक्षिण अफ्रीका जाने तक दोबारा अदालत में गया ही नहीं।”

अपने डरपोक स्वभाव से निर्भीकता का परिवर्तन सर्वप्रथम उनमें तब आया जब दिसम्बर 1892 में, राजकोट में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट चार्ल्स ऑलिवेंट द्वारा उन्हें अनादर के साथ दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। लन्दन से ही उनसे परिचित होने के कारण, गांधीजी अपने भाई लक्ष्मीदास की ओर से चार्ल्स ऑलिवेंट द्वारा प्रतिकूल नोटिस जारी किए जाने के कारण मध्यस्थता करने आए थे। वे उस अशिष्ट व्यवहार के कारण इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने उसका उल्लेख ‘पहले झटके’ के रूप में किया। इस ‘पहले झटके’ ने उनके जीवन का मार्ग इस प्रकार बदल दिया कि उन्होंने ऑलिवेंट के इस ‘आघात’ के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की दिशा में गम्भीरता से विचार किया। विख्यात बैरिस्टर फिरोशाह मेहता ने उन्हें उसके विपरीत सलाह दी। किन्तु ऑलिवेंट के इस दुर्यवहार के बाद उन्होंने किसी अनुपयुक्त मामले में सहयोग न बनने का और किसी भी प्रकार से भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस घटना के तुरन्त बाद उनको दक्षिण अफ्रीका की डरबन स्थित अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी द्वारा उनके कानूनी सलाहकार बनने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ‘पहले झटके’ के विषय में लेखक एन्थनी कोपले लिखते हैं, “इस झटके से गांधी ने एक बहुत दूरगामी शिक्षा ली, की आने वाले समय में ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोध सार्वजनिक नीति को परिवार, जाति और समुदाय की सभी मांगों से परे स्थान दिया जाए ताकि एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित हो जो भारतीय समाज को इस सर्वनाशी परिणाम से बचाए।”

करुणा, समर्पण भावना और दृढ़ संकल्प, दलित और अशक्त लोगों पर निरंतर पूरा ध्यान रखना गांधी के करुणा भाव का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ सहज ही तादात्म्य स्थापित किया, सदैव उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखा, उनकी तरह वेश-भूषा धारण की और 1917 के पश्चात् तो उनकी तरह झोपड़ी में रहने लगे, यद्यपि उनका बचपन और युवावस्था सापेक्षिक रूप में विलासिता में बीता था और उन्होंने ब्रिटिश कानूनी उपाधि भी प्राप्त की थी। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, “मैं उस भार के लिए कार्य करूंगा जिसमें सबसे दरिद्र व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी अपनी राय भी प्रभावपूर्ण है।”

दांडी मार्च के पहले लॉर्ड इर्विन को संबोधित अपने लम्बे पत्र में उन्होंने लिखा, “ब्रिटिश राज को मैं एक अभिशाप के रूप में क्यों मानता हूँ?..... इसलिए क्योंकि उसने करोड़ों मूक लोगों को एक क्रमबद्ध एवं नियोजित तरीके से, लगातार उनका शोषण कर, उन पर महंगी विध्वंसक सेना और नागरिक प्रशासन का वह बोझ डाल कर जिसे हमारा देश वहन नहीं कर सका, अशक्त बना दिया है।” अपने भाषणों एवं लेखों में करोड़ों मूक दलितों का उल्लेख उन्होंने अनेकों बार किया है। उनका खादी को महत्व देने का प्रमुख कारण भी उन दरिद्रों को लाभ पहुंचाने के लिए था। उनका कथन था, “खादी का अर्थ है गरीबों को रोजगार देना और भारत को आजाद कराना। अंग्रेजों ने भारत को इसलिए जकड़ रखा है क्योंकि यहां लंकाशायर के लिए लाभकारी बाजार उपलब्ध है...”

गांधीजी का करुणा भाव उनके द्वारा भारत के नए नेताओं को दिए गए ‘ताबीज’ से भी पुष्ट होता है। “जब भी शंका हो अथवा अहं बहुत बढ़ जाये जब निम्नलिखित कसौटी अपनाओं। किसी अत्यन्त गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा याद करें जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने-आप से प्रश्न करें कि जो कदम तुम उठाने का विचार कर रहे हो वह उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा या नहीं? क्या उससे उसे कुछ भी लाभ होगा? क्या उससे वह पुनः उस स्थिति में आ सकेगा कि अपने जीवन और अपने भाग्य को नियन्त्रित कर पाये? दूसरे शब्दों में, क्या तुम्हारे कार्य से कोटि-कोटि भूखे और आध्यात्मिक रूप से वंचित लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा?”

उनकी करुणा का सबसे उत्तम व प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगस्त 1947 में नोआखाली की नंगे पांव यात्रा। जब उनकी भतीजी मनु ने इसका विरोध किया तब उन्होंने उत्तर दिया, “हम अपने मंदिरों, मस्जिदों और गिरिजाघरों में

जूते पहन कर नहीं जाते हैं। अब हम उस धरती पर चल रहे हैं जहां लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं उस स्थान पर चप्पल कैसे पहन सकता हूँ?”

गांधी की समर्पण भावना का प्रणाम, विशेष रूप से भारत की एकता और अखण्डता के प्रति उनका आग्रह, सितम्बर 1944 में जिन्ना के साथ हुई वे चौदह मुलाकातें हैं, जिनके दौरान उन्हें प्रधानमंत्री पद देने का प्रस्ताव भी रखा जिसे उन्होंने नकार दिया। यद्यपि गांधीजी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्ता जिन्ना से कहीं अधिक थी किन्तु उन्होंने इस चौदह मुलाकातों के लिए जिन्ना के बम्बई स्थित निवास स्थान, 10 माउन्ट प्लेजेन्ट रोड पर जाने में तनिक भी संकोच नहीं किया।

सम्प्रेषण निपुणता, गांधी की सम्प्रेषण निपुणता प्रारम्भ में दक्षिण अफ्रीका के और ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिखते हुए निखरी। 1903 में, दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने अपना पहला समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन आरम्भ किया तथा बाद में भारत में यंग इंडिया और हरिजन की अंग्रेजी में और नवजीवन की गुजराती में शुरुआत की। इन सभी समाचार पत्रों में उन्होंने सामयिक विषयों पर खुल कर लिखा, ताकि सभी सम्बद्ध लोगों और विरोधियों को भी उनके विचारों, कार्यक्रमों और योजनाओं की पूरी जानकारी मिलती रहे।

उन्होंने अपनी उल्लेखनीय पुस्तक हिन्द स्वराज 1909 में 13 से 23 नवम्बर के बीच, किल्डोनन कासल नामक जहाज पर दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए, मात्र दस दिनों में लिखी। इसे भारत की आजादी की घोषणा नीति के रूप में जाना जाता है। वे लंदन में अपने असफल प्रचार के बाद दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे। इस पुस्तक को पूर्ण रूप से जहाज में उपलब्ध स्टेशनरी की सहायता से लिखा गया था और कुछ ज्ञात स्त्रोतों के अनुसार ‘जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो वे बाएँ हाथ से लिखना प्रारम्भ कर देते।’ इस प्रकार उन्होंने 276 पृष्ठों को पांडुलिपि के चालीस पृष्ठ बाएँ हाथ से लिख डाले थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई दैवीय प्रेरणा उन्हें प्रोत्साहित कर, उन्हें लेखन के लिए शक्ति प्रदान कर रही थी। एन्टनी परेल लिखते हैं, “हिन्द स्वराज का बी है जिसमें गांधी की विचारधारा का वृक्ष विशालकाय रूप में विकसित हुआ है। उन सभी के लिए जो उनके विचारों को अधिक व्यवस्थित रूप में पढ़ना चाहते हैं, यह पुस्तक वह आदर्श है, जिसके द्वारा उनकी अपनी आत्मकथा सहित अन्य रचनाओं के सैद्धांतिक महत्व को आंका जा सकता है।” इस पुस्तक की तुलना रूसों के सोशल कोन्ट्रैक्ट और सेंट इग्नेशियस लॉएला की स्पिरिचुयल एक्सरसाइजज जैसी विविध पुस्तकों से की जाती है। 1927 में प्रकाशित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा उनके अन्य सभी लेखों की तुलना में सबसे अधिक सम्प्रेषण करने वाली पुस्तक है। इसमें बहुत ही स्पष्ट और खुल रूप में उनके बचपन के संस्मरण, लालन पालन के प्रसंग, युवा कमजोरियों, कम उम्र में विवाह, तीव्र वासना की ललक और उसके परिष्कार के प्रयास एवं उन ईश्वरीय और साहित्यिक प्रभावों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व के विकास को संवारा और साकार किया।

उनके सम्प्रेषण के अन्य तरीके थे— सत्याग्रह, पद-यात्राएं, उपवास या अनशन तथा प्रार्थना-सभाएं। इनमें से सबसे प्रभावशाली रहे हैं चम्पारण, खेड़ा, बारदोली और ‘भारत छोड़ो’ सत्याग्रह आंदोलन, ट्रांसवाल और दांडी पदयात्राएं तथा 1932 व 1947 के उपवास।

उनकी ऐतिहासिक नमक आंदोलन की पत्र-यात्रा और खुले आम नमक कानून का विरोध, विचारों के सम्प्रेषण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका समाचार विश्व के एक हजार से भी अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। न्यूयार्क टाइम्स के सम्पादकीय में खबर छपी कि जहां ब्रिटेन अमेरिका से चाय पर मात खाई, वहीं वह भारत से नमक पर मात खा रहा है। ‘टाइम्स’ पत्रिका ने 4 जनवरी 1931 के अंक में अपने मुख पृष्ठ पर उनको ‘वर्ष का व्यक्ति’ स्थान दिया।

संगठनात्मक कुशलता और चमत्कारी व्यक्तित्व, गांधी ने जिस प्रकार 1915 और 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को पुनः संजोया, वह उनकी संगठनात्मक कुशलता का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब वे

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, उसमें कई कमियां थीं। यद्यपि भारत की 25 करोड़ जनता का मात्र एक प्रतिशत भारतीय अंग्रेजी भाषा में बातचीत करता था, उसकी सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती थी। इसमें मुख्य रूप से हिन्दू, ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग ही शामिल थे। उसकी सदस्यता मुख्यतः कलकत्ता, बंबई, और मद्रास जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित थी। उसमें प्रभावपूर्ण कार्यकारी प्रशासन तंत्र की कमी थी।

गांधीजी का पहला कदम था— गुजरात के कोचरब गांव में एक आश्रम की स्थापना करना। इस कार्य से उन्होंने ग्रामीण भारत में किसानों के समीप रह कर काम करने के लिए अपना आधार मजबूती से स्थापित कर दिया। कुछ महीनों के पश्चात जब यह क्षेत्र कॉलरा से ग्रसित हुआ तब इस आश्रम को अहमदाबाद के समीर साबरमती स्थानान्तरिक किया गया। ये दोनों आश्रम, उनके दक्षिण अफ्रीका के 'फीनिक्स आश्रम' और 'टॉल्सटॉय फार्म' की तरह, सामुदायिक जीवन—यापन और अहिंसा के प्रशिक्षण केन्द्र बन गए। उनके कथनानुसार, "प्रशिक्षण, सविनय अवज्ञा के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सैनिक विद्रोह के लिए।"

इसके पश्चात् उन्होंने प्रांतीय स्तर पर, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार कर, कार्य—संचालन भारतीय भाषाओं में करने पर आग्रहपूर्वक बल दिया। 11 नवम्बर 1917 को गुजरात की पहली राजनैतिक सभा में उन्होंने निर्णय लिया कि सभी भाषण गुजराती भाषा में होंगे। जिन्ना समेत हर व्यक्ति की उसमें सहमति थी, केवल तिलक ने मराठी में भाषण दिया। किन्तु अंग्रेजी भाषा में कोई भी नहीं बोला।

रणनीति कौशल, अच्छे नेतृत्व के लिए रणनीति कुशलता आवश्यक है। गांधी इस संबंध में अत्यंत प्रतिभाशाली साबित हुए। सत्य, अहिंसा और आत्मपीड़न को समन्वित करते हुए, उन्होंने एक अनूठे सत्याग्रह की रणनीति बनाई। सर्वप्रथम 1907 में, दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक एक्ट का विरोध करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। किन्तु इसकी प्रारंभिक अवधारणा सन् 1906 में बनी। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है 'सत्य के लिए निष्ठा—पूर्वक दृढ़ रहना,' किन्तु साधारणतः इसे 'सत्य की शक्ति', 'आत्मा की शक्ति' या 'प्रेम की शक्ति' के रूप में जाना गया है। यह ईसा मसीह की तरह का निष्क्रिय विरोध है। "निष्क्रिय विरोध को कमजोरों के हथियार के रूप में जाना गया है। यही कारण है कि 'सत्याग्रह' नाम की सृष्टि दक्षिण अफ्रीका में की गई ताकि उसे निष्क्रिय विरोध से अलग रूप में पहचाना जा सके। अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली और शूरवीर व्यक्ति का शस्त्र है।" अपने इस कथन की पुष्टि में उन्होंने कहा "यह बल (सत्याग्रह) हिंसा को समाप्त करने में है अतः इसका प्रयोग हर प्रकार के अत्याचार और अन्याय को मिटाने में है, वैसे ही जैसे प्रकाश अंधाकर को मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। राजनीति में इसका उपयोग उस अपरिवर्तनीय उक्ति पर आधारित है कि जनता की सरकार तभी तक संभव है जब तक जनता जानते हुए अथवा अनजाने में उस सरकार द्वारा प्रशासित होने की अनुमति स्वयं दे।"

एरिक एरिक्सन, कृष्णलाल श्रीधरानी और रिचर्ड ने सत्याग्रह को क्रमशः 'युद्ध—प्रिय अहिंसा' 'बिना हिंसा के युद्ध' और 'नैतिक जूजिट्सु' के रूप में माना है। गांधी की युद्ध—प्रियता के विषय में मार्क जुर्गेनस्मेयर ने लिखा है, "गांधी एक योद्धा थे। उनके संबंध में कोई चाहे कुछ भी कहे, कि वे एक संत थे, चतुर राजनीतिज्ञ थे या कि जैसा विन्स्टल चर्चिल ने एक बार कहा था कि वे 'राजद्रोही फकीर थे।' गांधी निश्चित रूप से जानते थे कि लड़ाई कैसे लड़नी है। वस्तुतः संघर्षों के समाधान के लिए उनका दिखाया तरीका, मोहनदास गांधी की स्थाई विरासतों में से एक है।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दशरथ शर्मा, गांधीवादी की विनोबाद की देन बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1980
2. डॉ. वीरेन्द्र शर्मा, आधुनिक भारतीय पुर्ननिर्माण में गांधी जी का योगदान ए पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1986

3. योगेन्द्र सिंह, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन।
4. अग्रवाल व श्री राम, शोशल चेन्ज इन इण्डिया इश्यू एण्ड प्रोस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बुक डिपॉ जयपुर 1987
5. रविन्द्रनाथ मुखर्जी, समकालीन समाजशास्त्र
6. गुप्ता एवं शर्मा, समाजशास्त्र साहित्य भवन, आगरा, 1982
7. रविन्द्रनाथ मुखर्जी, भारती समाज एवं संस्कृति।
8. डॉ. लवानियां, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन
9. श्री रामनाथ सुमन, सत्य और अहिंसा उत्तरप्रदेश गांधी स्मारक निधी सेवापुरी 1965
10. एम.के. गांधी, एन सोशियाग्राफी व स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेन्ट विद टूथ नव जीवन ट्रस्ट अहमदाबाद 1927